

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग
—: अधिसूचना :—

संचिका संख्या-6/वि0पत्रा0-24-42/2025

पटना, दिनांक:-

सुश्री अराधना कुमारी, परीक्ष्यमान राज्य-कर सहायक आयुक्त (67वीं बैच), गयाजी अंचल-1, गयाजी को बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत दिनांक 01.07.2026 से 11.08.2026 तक 42 दिनों का उपार्जित अवकाश एवं बिहार सेवा संहिता के नियम-180 एवं 236 के तहत दिनांक 12.08.2026 से 31.08.2026 तक 20 दिनों का असाधारण अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त उपार्जित अवकाश की स्वीकृति के उपरान्त सुश्री कुमारी के अवकाश लेखा में (42-42=00) शून्य दिन उपार्जित अवकाश शेष रह जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(विजय कुमार)

सरकार के उप सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-6/वि0पत्रा0-24-42/2025 3584 पटना, दिनांक:- 14/09/26

प्रतिलिपि :- वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/वरीय कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, गयाजी/राज्य-कर अपर आयुक्त (प्रशासन), मगध प्रमंडल, गयाजी/एच0आर0 एम0 एस0 (एडमीन), वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/एच0आर0 मैनेजर (स्थापना), वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/वरीय प्रभारी, लेखा शाखा, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/अंचल प्रभारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गयाजी अंचल-1, गयाजी को इस आशय की सूचना के साथ प्रेषित की एच0आर0एम0एस0 पोर्टल पर उक्त अवकाश के पश्चात् शेष आदेयता की अद्यतन प्रविष्टि कर लेंगे। आई0टी0 मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/ सुश्री अराधना कुमारी, परीक्ष्यमान राज्य-कर सहायक आयुक्त (67वीं बैच), गयाजी अंचल-1, गयाजी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग
बिहार, पटना।